यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, थराली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, थराली के माह 10/2015 से 05/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों, श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17/02/2017 से 27/03/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः नई ईकाई
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः बाढ़ सुरक्षा कार्य, नहरों का निर्माण/पुनर्निर्माण, गैरसेण, नरायणबगड़, कर्णप्रयाग, थराली देवबन्ध।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

   -संलग्न-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2015-16	AIBP (4700)		7.06	7.06	
	SPAR (2245)		784.23	621.15	163.08
2016-17	AIBP (4700)		7.06	7.06	
	SPA-R (2245)	163.08	-	146.93	16.15
	CSSR (4700)		191.10	191.10	

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता (श्रीनगर)
अधीक्षण अ भयन्ता (रूद्रप्रयाग)
अ धशासी अ भयन्ता
सहायक अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, थराली को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, थराली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017, 03/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। वेलसरा बाढ़ सुरक्षा योजना का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 12/08/2015 से 17/06/2017 का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 09/2016 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 05/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ` शून्य

   भाग द् वतीय ` शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 05/2017 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - शून्य

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नगद परिशोधन - शून्य

(घ) निक्षेप- 1,37,94,890.00

(ङ) भण्डार- ` 67,199.00

<u>भाग-II 'अ'</u>

शून्य

भाग-2(ब)

प्रस्तर -1 वत्तीय स्वीकृति के 03 वर्ष बाद 315.61 लाख व्यय के उपरान्त भी कार्य का अपूर्ण रहना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा केन्द्रपो षत नि ध के अन्तर्गत (एस.पी.ए.आर.- पुनर्निर्माण) के अन्तर्गत जनपद चमोली के वकास खण्ड थराली, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़ एवं गैरसैंड में बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु 1095.40 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति (जून 2014) प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत पंडर नदी के बाये कनारे में सुभाष नगर की बाढ़ सुरक्षा हेतु रिटेनिंग वाल (0.425 कमी.) के कार्य हेतु 325.71 लाख का प्रावधान कया गया था। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 19/एसई/2014-15 दिनां कत 01 दिसम्बर 2014 236.95 लाख हेतु गठित की गयी जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की ति थ 31 मई 2015 थी। कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय 315.61 लाख था।

अ धशासी अ भयंता, संचाई खण्ड, थराली के अ भलेखों की जांच में (जून 2017) पाया गया क उपरोक्त अनुबंध के अन्तर्गत कार्य समाप्ति की ति थ के 02 वर्ष बाद भी मात्र 212.37 लाख भुगतान का गया था एवं खण्ड द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बाद भी ठेकेदार द्वारा न तो कार्य पूर्ण कया जा रहा था और न ही खण्ड द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण करने मे देरी के लए ठेकेदार से कोई अर्थदण्ड वसूला गया था। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा उपरोक्त व्यय के साक्ष्य में संचाई खण्ड कर्णप्रयाग द्वारा 58.49 लाख हेतु गठित 14 अनुबंध के ववरण ही प्रस्तुत कये गये थे।

उक्त की ओर इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क कार्य पूर्ण कए जा चुके है एवं कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार कार्य समाप्त कर 10.09 लाख की धनरा श शासन को सम र्पत की जा चुकी है जब क पूर्ण कए गए कार्य की अंतिम माप एवं भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क एक तरफ खण्ड द्वारा ठेकेदार को बार-बार कार्य पूर्ण करने एवं समयवृद ध भेजने हेतु बार-बार चेतावनी पत्र (फरवरी 2017 एवं जून 2017) भेजा जा रहा था और दूसरी तरफ बिना कार्य का अंतिम माप कए कार्य को पूर्ण कहा गया जो आपस में वरोधाभाषी थे। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा कार्य पर कए गए कुल व्यय से संबं धत साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कए जा सके।

अतः खण्ड की लापरवाही से वत्तीय स्वीकृति के 03 वर्ष बाद 315.61 लाख व्यय के उपरान्त भी कार्यों के अपूर्ण रहने एवं ठेकेदार से वलम्ब हेतु अर्थदण्ड की वसूली का न कए जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 02- अनिय मत कार्य निष्पादन पर व्यय 100.26 लाख।

जनपद चमोली के गैरसैण नगर के बीच स्थित नाले के भू मगत कए जाने के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति 123.97 लाख की माह अगस्त 2015 में प्रदान की गयी थी एवं प्रा व धक स्वीकृति इतनी ही धनरा श को माह अगस्त 2016 में अधीक्षण अ भयन्ता संचाई कार्य मण्डल श्रीनगर द्वारा प्रदान की गयी थी।

संचाई खण्ड थराली की लेखापरीक्षा (जून 2017) में पाया गया क यद्य प खण्ड को एक मुस्त वत्तीय स्वीकृति एवं प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त थी तब भी खण्ड द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में वभाजित कर कुल 17 अनुबंधों के माद्यम से कराया जा रहा था, जिनकी संयुक्त लागत 122.98 लाख एवं उनके सापेक्ष लेखापरीक्षा ति थ तक 100.26 लाख का भुगतान कया जा चुका था। खण्ड द्वारा 03 अनुबंध अ धशासी अ भयन्ता स्तर के एवं शेष सहायक अ भयन्ता स्तर के जाये कये गए थे। अ धशासी अ भयन्ता स्तर के अनुबंधों को गठित करने से पूर्व समाचार पत्रों में नि वदा प्रका शत की गयी थी कन्तु सहायक अ भयन्ताओं से संबं धत नि वदा आमंत्रण सूचना का साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं कया जा सका था। लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा प्रा व धक स्वीकृति (09/08/2016) प्रदान कए जाने से पूर्व ही अर्थात वस्तृत आगणन स्वीकत कये जाने से पूर्व (अप्रैल 2016) ही कार्य प्रारम्भ कर दिया था जो वत्तीय हस्तपुस्तिका भाग **VI** प्रस्तर 318 के प्रावधानों के वपरीत था जिसमें स्पष्ट उल्ले खत है क कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्ड द्वारा टुकड़ों में कार्य वभाजित करने पर पूछे जाने पर बतलाया गया क मुख्यमंत्री घोषणा के तहत कार्यों को शीघ्र संपादित कराने की दृष्टि से वर्षा काल से पूर्व कार्य कराया जाना आवश्यक था खण्ड का उत्तर वास्त वक्ता से परे था क्यों क लेखापरीक्षा ति थ तक भी खण्ड द्वारा सभी अनुबंधों का अन्तिमीकरण नहीं कया गया था साथ ही माह दिसम्बर 2016 (अनुबंध 67/**AE 2-16-17)** तक भी अनुबंध गठित कए गए थे जो स्वतः स्पष्ट करता है क न तो कार्य शीघ्र सम्पादित कए गए न ही वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण कए गये थे। प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व कार्य प्रारम्भ कए जाने के संबंध में भी खण्ड द्वारा यही बतलाया गया क कार्य शीघ्र पूर्ण कए जाने हेतु ऐसा कया गया। खण्ड का यह उत्तर भी मान्य नहीं था क्यों क वत्तीय नियमों की अवहेलना कर कार्य प्रारम्भ कया गया था।

अतः वत्तीय नियमों की अवहेलना कर अनिय मत कार्य (100.26) का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 03- खण्ड की उदासीनता के कारण 16 नहरों के पूर्णतः बन्द रहने से 584.86 हैक्टेयर कृ ष भू म अ सं चत रहना।

संचाई खण्ड थराली का मुख्य कार्य कृषकों को संचाई हेतु नहरों द्वारा पानी उपलब्ध कराना है। खण्ड के अन्तर्गत कुल 103 नहरें है जिनमें से मात्र 42 प्रतिशत नहरें ही पूर्ण च लत थी।

खण्ड की लेखापरीक्षा (माह जून 2017) में पाया गया क 103 नहरों में से 16 बिल्कुल बन्द थी, 36 आं शक रूप से चा लत थी एवं 09 परित्याग योग्य थी। उपरोक्त में से 16 नहरें बिल्कुल बन्द थी। यह नहरें वर्ष 1996 से 2016 के मध्य से कार्य नहीं कर रही थी इन नहरों द्वारा कुल 584.86 हैक्टेयर क्षेत्र में संचाई की जाती थी।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया क समय-समय पर आगणन शासन को प्रे षत कये जाते है। उत्तर मान्य नहीं था क्यों क नहरे कई वर्षो से बन्द पड़ी थी यदि खण्ड द्वारा इमानदारी से प्रयास कया गया होता तो संचाई का लाभ कृषकों तक पहुँचाया जा सकता था। खण्ड द्वारा आगणन भेजे जाने संबंधी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कया था।

अतः खण्ड की उदासीनता के कारण 584.86 हैक्टेयर कृ ष भू म के अ सं चत रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, थराली तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	1. श्री वी के मौर्य,	अ धशासी अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1.	श्री अमर संह भण्डारी, कार्यवाहक	04/09/2015 से 21/02/2016
2.	श्री अर वन्द कुमार	21/02/2016 से 29/07/2016
3.	श्री राम प्रकाश चौर सया	29/07/2016 से 03/08/2016
4.	श्री नवनीत चौहान	03/08/2016 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, थराली को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II